भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2550

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) व्यय तथा जलवायु अनुकूल अवसंरचना

2550. श्री बंशीलाल गुर्जर:
श्री मनन कुमार मिश्र:
श्री नरेश बंसल:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री भाष्यम् रामा कृष्णा:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री नवीन जैन:
डा. कल्पना सैनी:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री मिथलेश कुमार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवघोषित 20,000 करोड़ रुपए के कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकी कोष के अंतर्गत कार्बन शमन प्रणालियों की तैनाती के लिए भारी उद्योग क्लस्टरों के चयन में प्रयुक्त दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चयनित पायलट ताप विद्युत संयंत्रों में कार्बन कैप्चर की दक्षता का आकलन करने के लिए विशिष्ट उत्सर्जन-न्यूनकरण संपरीक्षा ढांचा स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार शहरी आर्द्रभूमियों के पुनर्जीवन के लिए नगर निगमों को ग्रीन बॉण्ड जारी करने में सक्षम बनाने हेतु मानकीकृत नियम जारी करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : बजट (वित्त वर्ष 2026-27) की घोषणा के अनुसार, कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य पांच औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी तथा रसायन में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है।

सीसीयूएस कार्यक्रम वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में स्थापना चरण में है। कार्यक्रम की मंजूरी के बाद, मंत्रालय परियोजना/क्लस्टर के चयन के तौर-तरीकों तथा अन्य कार्यान्वयन संबंधी पहलुओं सहित अपेक्षित नियम एवं दिशानिर्देश तैयार करेगा।

(घ) और (ङ) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जारी किए गए हर ₹100 करोड़ के नगरपालिका बॉन्ड पर ₹13 करोड़ की दर से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, जिसमें अधिकतम प्रोत्साहन ₹26 करोड़ प्रति यूएलबी है। दूसरी बार की पात्रता केवल ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए है, जिसमें जारी किए गए हर ₹100 करोड़ के बॉन्ड पर ₹10 करोड़ की दर से प्रोत्साहन मिलता है, और यह प्रोत्साहन अधिकतम ₹20 करोड़ तक ही सीमित है।

आमतौर पर, नगरपालिका बॉन्ड शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। अब तक, 23 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने नगरपालिका बॉन्ड के ज़रिए ₹6,540.44 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें 7 शहरों द्वारा ग्रीन बॉन्ड के ज़रिए जुटाए गए ₹1,294 करोड़ भी शामिल हैं। बॉन्ड जारी करने के लिए यूएलबी को प्रोत्साहन के तौर पर कुल ₹515.44 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए ₹112.5 करोड़ का प्रोत्साहन भी शामिल है।
